न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या 29/2019 | तारीख दायरा 17/06/2019 | तारीख फैसला 09/10/2025

बद्रीलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा, हाल मुकाम रामपुरा भक्तान तह0 मांगरोल जिला बांरा राजस्थान।

वादी

बनाम

1. महाराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
2. बुद्धिप्रकाश पुत्र महाराम जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
3. लखन पुत्र श्री महाराम जाति मीणा नि0 जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
4. गोलू पुत्र श्री महाराम जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:–हरिमोहन मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– एकतरफा।

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जलोदाखातियान पटवार क्षेत्र जलोदाखातियान भू0अभि0नि0 विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान में संवत् 2070 से 2073 के अनुसार केवट खातौनी नई 132, पुरानी 16 में खसना नं0 400 की रकबा 0.19 है0, स्थित है। जिसमें वादी उपरोक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं0 400 की 0.19 है0, भूमि को वादी प्रतिवादी क्र0 1 ता 04 को प्रतिवर्ष अपनी सुविधानुसार मौखिक इकरार से मुनाफा काश्त पर जुताता था, और प्रतिवादीगण 1 ता 4 मुनाफा काश्त की गई भूमि का किराया प्रतिवर्ष वादी को अदा करते थे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण 01 ता 04 से कहा कि अक्षय तृतीया 2019 समाप्त हो चुकी है, मुझे अपना मुनाफा काश्त की जमीन की राशि अदा करो, अन्यथा उपरोक्त भूमि पर मैं स्वयं काश्त करूंगा या अपनी सुविधानुसार अन्य व्यक्ति को मुनाफा काश्त पर जुताउंगा तो अप्रार्थीगण 01 ता 04 ने दिनांक 21.05.2019 को राशि देने से स्पष्ट मना कर दिया एवं उक्त भूमि को हांकने से मना कर दिया कि हांकने मत जाना मैं हांकने नहीं दूंगा, न ही खेत पर कब्जा दूंगा, उक्त भूमि का संपूर्ण स्वामित्व मेरा है एवं हमेशा रहेग। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण 01 ता 04 जानबुझकर वादी को धोखे में रखकर अवैध रूप से व अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त करने पर आमादा है, जबकि अप्रार्थीगण को वादी की उक्त भूमि पर काश्त करने का कोई कानूनी अधिकार

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। ग्राम जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा में स्थित ख0नं0 400 रकबा 0.19है0, पर जबरदस्ती काश्त करने की धमकी दिनांक 21.05.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इस आश्य का वाद प्रस्तुत कर निम्न आश्य की डिक्री जारी करवाने हेतु निवेदन किया गयाः—ग्राम जलोदाखातियान पटवार क्षेत्र जलोदाखातियान भू0अभि0नि0 विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान में खसरा नं0 400 रकबा 0.19 है0, भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। प्रतिवादीगण 01 ता 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 बद्रीलाल, पी0डब्ल्यू0 2 प्रभूलाल, पी0डब्ल्यू0 3 हंसराज पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में वाद पत्र प्रदर्श पी—1, नकल जमाबंदी संवत 2070—73 ग्राम जलोदा खातियान प्रदर्श पी—2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी—3 पेश किए।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के तथ्यों पर अवलोकन व मनन के उपरान्त पाया कि ग्राम जलोदा खातियान तह0 पीपल्दा की ख0नं0 400 रकबा 0.19है0, वादी बद्रीलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीना के नाम हि0 3/5 खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी को मौखिक इकरार से मुनाफा काश्त पर कर रहे थे एवं 2019 अक्षय तृतीया से मुनाफा काश्त की राशि अदा नहीं कर रहे है। वादी सदभावी कृषक है और अपनी खातेदारी कृषि पर निर्बाध रूप से कृषि कार्य करने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो वादी खातेदार को असिमित अपूरणीय क्षति हो रही है जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जलोदा खातियान तह0 पीपल्दा की ख0नं0 400 रकबा 0.19है0 भूमि पर प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें, और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे। तदनुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
29 / 2019	17 / 06 / 2019	09 / 10 / 2025

बद्रीलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तहसील पीपल्दा, हाल मुकाम रामपुरा भक्तान तह0 मांगरोल जिला बांरा राजस्थान।

वादी

बनाम

1. महाराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा
2. बुद्धिप्रकाश पुत्र महाराम जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा
3. लखन पुत्र श्री महाराम जाति मीणा नि0 जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा
4. गोलू पुत्र श्री महाराम जाति मीणा निवासी जलोदाखातियान तह0 पीपल्दा

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:–हरिमोहन मीणा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:– एकतरफा।

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जलोदा खातियान तह0 पीपल्दा की ख0नं0 400 रकबा 0.19है0 भूमि पर प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करें, और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 09.10.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)